



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2017

मध्यराजस्व निवासी १०५०/२०१७/२८६४

कल्याण पुत्र रामचरण नाम
निवासी- ग्राम बैराढ तहसील नाम
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदक

बिना व्यापार अधीन
23-८/१७

23-८/१७

विरुद्ध
सतीष प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र
गुरुलीधर श्रीवास्तव, निवासी- हासि
निवास 2-बी अशोक कॉलोनी,
खासगी बाजार लश्वर ग्वालियर (म.
प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बैराढ जिला शिवपुरी
द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 29/07/2017 एवं अधिग्रहण
कर्यावाही के विरुद्ध म.प्र. भू-राजरव संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनायक नाथ
वृलियर
23-०८-२०१७

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

- यहकि, ग्राम बैराढ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2953/1 पर 2947/2 आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियां द्वारा आवेदक ने वर्ष 2014 में अपनी भूमियों का सीमांकन कराया था तदानुसार आवेदक अपने स्वत्व की भूमियों पर काबिज दखल चला रहा है। इसका अनावेदक की किसी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।
- यहकि, अनावेदक द्वारा तहसील महोदय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन किया कि उसने अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 2955/1 का सीमांकन कराया था जिस पर आवेदक का लगभग 40 हे. पर अवैध कब्जा पाया गया है एवं उसने सीमांकन मुकिया उत्ताप फेंक दी है। अतः उसे कब्जा दिया जाये।
- यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मात्र तामील कराने वाले रिपोर्ट कि तामील लेने से इक्कार करने पर मतान पर चस्पा किया गया, इस आधार पर दिनांक 12/07/2017 छो कब्जा दिलाये जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र०, ग्वालियर
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2868
 कल्याण विरुद्ध सतीष प्रकाश श्रीवास्तव

स्थान तथा दिनांक:	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षण
----------------------	--------------------	---

१८/६/१९

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बैराढ़, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-6/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 29/7/17 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(आर०क० जैन) १८/६/१९
 सदस्य